भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3394

(दिनांक 12.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

अरुणप्रभा चैनल

3394. श्री अब्दुल खालेकः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरदर्शन के 'अरुणप्रभा' चैनल पर कार्यक्रम निर्माण संबंधी-आबंटन और कार्यक्रम अनुबंध में निर्माता के चयन के सिलसिले में कदाचार हेतु मुकदमा दर्ज किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीबीआई ने उक्त आरोपों की छानबीन की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव की अनदेखी कर किए गए ऐसे आबंटनों का आधार क्या था; और

(घ) इस संबंध में सीबीआई का क्या निष्कर्ष है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रसार भारती द्वारा गठित प्रख्यात विशेषज्ञों वाली मूल्यांकन समिति द्वारा "पूर्वोत्तर डीडी चैनलों पर प्रसारण हेतु कमीशंड कार्यक्रमों संबंधी दिशानिर्देश - 2016" के अनुसार डीडी अरूणप्रभा चैनल हेतु सभी कार्यक्रमों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया और कार्यक्रमों की कमीशनिंग में कदाचार की रिपोर्ट नहीं पाई गई है। चयन की प्रक्रिया को गुवाहाटी, जम्मू और कश्मीर व दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। डीडी अरूणप्रभा चैनल के लिए कार्यक्रमों के आवंटन हेतु निर्माण घरानों के चयन में अनियमितताओं और कदाचार के आरोप में एक शिकायत आवश्यक कार्रवाई हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से प्राप्त हुई। इस मामले में सीबीआई ने जांच नहीं की थी। शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की गई और पाया गया कि इसमें निर्धारित शर्तों व मानदंडो का अनुपालन किया गया है।

*****